प्रति,

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
   मध्यप्रदेश शासन,
   भोपाल।

2. माननीय कलेक्टर महोदय,
   जिला–भोपाल।

3. माननीय पुलिस आयुक्त महोदय,
   नगरीय पुलिस,
   जिला–भोपाल।

4. माननीय उपायुक्त महोदय,
   आसूचना एवं सुरक्षा,
   भोपाल।

5. माननीय उपायुक्त महोदय,
   जोन–3 भोपाल।

कार्यालय पुलिस आयुक्त
भोपाल (म.प्र.)
आवक–जावक शाखा

कार्यालय पुलिस उपायुक्त,आसू.एवं सुरक्षा,भोपाल
इस कार्यालय में आवेदन देने के उपरांत संबंधित
पुलिस थाने से अवश्य संपर्क करें। एवं इस
आवेदन को कार्यक्रम की अनुमति न समझा जावे।
संबंधित थाने के डीसीपी द्वारा दिये गये अभिमत अनुसार
अनुमति पृथक से जारी की जायेगी।
अनुमति शाखा आवक क्र.....................................
दिनांक............../........../202.................

विषय : दिनांक 15 सितंबर 2026 को सेंट्रल लाइब्रेरी, भोपाल में प्रस्तावित AIMIM कार्यक्रम की अनुमति पर कानून–व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द की दृष्टि से पुनर्विचार कर अनुमति प्रदान न किए जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि दिनांक 15 सितंबर 2026 को सेंट्रल लाइब्रेरी, भोपाल में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री असदउद्दीन ओवैसी के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में शहर की शांति, कानून–व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए यह निवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

भोपाल अपनी गंगा–जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारे एवं सभी धर्मों के लोगों के शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के लिए जाना जाता है। वर्तमान में गणेश उत्सव का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व भी चल रहा है। सेंट्रल लाइब्रेरी एवं उसके आसपास के क्षेत्र में गणेश जी की प्रतिमाओं की बिक्री एवं खरीदारी के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों की आवाजाही रहती है। ऐसी संवेदनशील अवधि में किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के

आयोजन से अतिरिक्त भीड़, यातायात दबाव तथा कानून–व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना को प्रशासन द्वारा गंभीरता से देखा जाना आवश्यक है।

विशेष रूप से यह भी निवेदन है कि श्री असदउद्दीन ओवैसी के पूर्व के सार्वजनिक भाषणों एवं बयानों को लेकर विवाद की स्थितियां उत्पन्न होने की खबरें सामने आती रही हैं। वर्तमान में गणेश उत्सव का समय होने के कारण धार्मिक भावनाओं से जुड़ा वातावरण है। ऐसी स्थिति में यदि कार्यक्रम के दौरान कोई ऐसा वक्तव्य सामने आता है जिसे किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला या उत्तेजक माना जाए, तो उससे अनावश्यक तनाव उत्पन्न होने तथा शहर के शांतिपूर्ण वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है।

इसी संदर्भ में पूर्व में हैदराबाद के पूर्व विधायक श्री टी.राजा सिंह जी के कार्यक्रमों के संबंध में भी कानून–व्यवस्था एवं स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अनुमति नहीं दिए जाने जैसे निर्णय लिए गए हैं। अतः वर्तमान मामले में भी किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल के आधार पर नहीं, बल्कि समान कानूनी एवं प्रशासनिक मापदंडों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी का उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के विरुद्ध आपत्ति करना नहीं, बल्कि भोपाल की शांति, धार्मिक सद्भाव एवं गंगा–जमुनी तहजीब को बनाए रखना है। इसी भावना के तहत प्रशासन का ध्यान संभावित कानून–व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया जा रहा है।

अतः आपसे दृढ़तापूर्वक अनुरोध है कि दिनांक 15 सितंबर 2026 को सेंट्रल लाइब्रेरी, भोपाल में प्रस्तावित उक्त कार्यक्रम की अनुमति की तत्काल समीक्षा की जाए। गणेश उत्सव, क्षेत्र में श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों की संभावित भीड़, यातायात व्यवस्था, धार्मिक संवेदनशीलता तथा कानून–व्यवस्था के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यदि प्रशासन को शांति भंग अथवा सामाजिक तनाव की आशंका प्रतीत होती है, तो जनहित में उक्त कार्यक्रम की अनुमति प्रदान न की जाए अथवा कानून के अनुसार आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाएं।

साथ ही, यदि कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की जाती है तो कार्यक्रम के दौरान दिए जाने वाले भाषण एवं वक्तव्यों में लागू कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी ऐसे वक्तव्य पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों या सार्वजनिक शांति एवं कानून–व्यवस्था प्रभावित हो।

भोपाल की शांति, सुरक्षा एवं गंगा–जमुनी तहजीब सर्वोपरि है अतः जनहित एवं सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए इस आवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक निर्णय लेने का अनुरोध है।

भवदीय,

दिनांक 11.09.2026

जीशान रहमान शानू
प्रदेश अध्यक्ष
मध्यप्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी
भोपाल, मध्य प्रदेश
मो. 9770330790